76

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2013 पुर्नविलोकन रिव्यू-4439-I-13

1. सीताराम पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
2. प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद

निवासीगण – ग्राम छरेटा खरौआ तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. महिला सरस्वती पत्नी हरीमोहन पुत्री जगन्नाथ निवासी ग्राम सिंघवारी तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. महिला भूरीबाई पत्नी छोटेलाल पुत्री जगन्नाथ निवासी खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा उ.प्र.
3. अनिल पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम बकालपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा उ.प्र.
4. बालमुकुन्द पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम छरेटा खरौआ तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
5. सतीश शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा नि. ग्राम खेरागढ तह खेरागढ जिला आगरा

..... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1073/ 11/ 2011में पारित आदेश दिनांक 8.10.2013 के विरूद्ध पुर्नविलोकन

महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 4439–दो/15 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–01–17	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 1073–दो/11 में पारित आदेश दिनांक 08–10–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 4 के पिता स्व0 जगन्नाथ की मृत्यु वर्ष 1988 में होने के पश्चात वादोक्त भूमियों पर सीताराम, प्रेमनारायण, शिवचरण, बालमुकुन्द एवं अशोक शर्मा के वैध वारिस होकर सभी के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के माध्यम से पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ–साथ पुत्रियों को भी समान हक प्रदान किये गये थे। चूंकि इस प्रकरण में मृतक भूमिस्वामी जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों के नाम नामांतरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के पूर्व हो चुका था इसलिए उक्त नामांतरण को इस अधिनियम के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रकरण कमांक 7217/2013 प्रकाश आदि बनाम फूलवती में दिनांक 16–10–2015 को पारित निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा। इसी अधिनियम की धारा–6 में प्रावधानित किया गया है कि उपरोक्त संशोधन अधिनियम से ही पुत्रियों को सहदायिकी माना जावेगा।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 एवं मान0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों की गलत व्याख्या करने में विधि की गंभीर त्रुटि की गई है। चूंकि उक्त संशोधन अधिनियम 9 सितम्ब 2005 से प्रभावी हुआ है। इसलिए किसी अधिनियम के लागू होने के भूतलक्षी प्रभाव किसी प्रकरण में लागू नहीं किये जा सकते। मृतक जगन्नाथ प्रसाद की पुत्रियों द्वारा वर्ष 2010 में अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष उक्त नामांतरण आदेश की अपील प्रस्तुत की गई थी। उसके पूर्व मृतक जगन्नाथ प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1988 एवं उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु वर्ष 1995 में हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 9 सितम्बर 2005 के पूर्व ही जगन्नाथ प्रसा एवं उनकी पत्नी के पश्चात उनके संपत्ति पर तत्समय सहदायिकी पुत्रों का समान भाग अनुसार नामांतरण हुआ। परन्तु अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर निष्कर्ष निकाले हैं। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग है कि नामांतरण पश्चात मृतक जगन्नाथ प्रसाद के वारिसानों द्वारा बटवारा आदेश दिनांक 01–4–2009 के द्वारा बटवारा स्वीकृत किया गया। बटवारे के पश्चात अनावेदक कमांक 4 बालमुकुन्द द्वारा विकय पत्र दिनांक 14–9–2011 के माध्यम से भूमि भी विकय की जा चुकी है। उक्त विकय पत्रों को शून्य घोषित कराने की कार्यवाही भी अनावेदिकोंओं द्वारा कार्यवाही नहीं की है और न ही बटवारो को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए उक्त्त आदेश अंतिम हो चुका है। जहां तक अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत का प्रश्न है चूंकि प्रकरण में वैद्य वारिसों के नाम नामांतरण एवं नामांतरण के पश्चात बटवारा स्वीकृत किया जा चुका है। अब उन्हीं भूमियों के संबंध में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यदि कोई पक्षकार वसीयत प्रस्तुत करना है तो उसे इस संबंध में व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए। जैसा कि ऊपर विश्लेषण किा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किये गये थे जिसकी पुष्टि इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी द्वारा करने में त्रुटि की गई है अतः इस न्यायालय का निगरानी में पारित आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है। 3/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 31–12–2010, अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 7–7–11 एवं इस न्यायालय का निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–10–2013 निरस्त किये जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण ठहराव कमांक 16 आदेश दिनांक 24–5–2000 यथावत रखा जाता है। (एम0के0 सिंह) सदस्य	